



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 9-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2018 (PHALGUNA 8, 1939 SAKA)

PART - I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 2018

संख्या प०पा०/2017/1525.—

विषय: हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017 (हरियाणा अधिनियम 2017 का संख्या 6) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना।

हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017 (हरियाणा अधिनियम 2017 का संख्या 6) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग द्वारा किसानों के लाभार्थ कार्यान्वयित की जा रही निम्न स्कीमों को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है, जिनके लिए आधार क्रमांक या नामांकन क्रमांक आधार क्रमांक न होने पर, व्यक्ति की पहचान के लिए प्रामाणिक सबूत के रूप में प्रयोग किया जायेगा:—

1. एकीकृत मुराह विकास स्कीम
2. हाईटैक डेरी यूनिट्स की स्थापना की स्कीम
3. अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्तकर्ताओं को पशुधन इकाईयों की स्थापना से रोजगार अवसर प्रदान करने की स्कीम
4. देशी पशुओं के संरक्षण और विकास के लिए स्कीम

पी. के. महापात्र,
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 9th February, 2018

No. AH/2017/1525.— In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Haryana Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017 (Haryana Act No. 6 of 2017), the following schemes being implemented by the Department for the benefit of the farmers are hereby notified under Section 4 of the Act, *ibid*, for which Aadhar number for enrolment number in the absence of Aadhar number, shall be used as authenticated proof of identification of the individual:-

1. Scheme for Integrated Murrah Development.
2. Scheme for Establishment of Hi-tech Dairy units.
3. Scheme for Employment opportunities to Scheduled Castes by establishing Livestock Units for Scheduled Castes.
4. Scheme for Conservation and Development of indigenous Cattle.

P.K. MAHAPATRA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry and Dairying Department.



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 3-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 15, 2019 (PAUSA 25, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जनवरी, 2019

क्रमांक 9033 (सी.एफ.एम.एस)–प0पा0–4–2018/141.—

विषय:— हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित परिदान) अधिनियम, 2017 (हरियाणा अधिनियम, 2017 का संख्या 6) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना।

हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2017 (हरियाणा अधिनियम, 2017 का संख्या 6) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम की धारा 4 के तहत किसानों के लाभ के लिए पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग हरियाणा द्वारा निम्नलिखित योजनाएं लागू की जा रही हैं जिसके लिए आधार क्रमांक या नामांकन क्रमांक आधार क्रमांक की अनुपस्थिति में, व्यक्ति की पहचान के लिए प्रमाणित प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाएगा:—

- 1 प्रांगन में मुर्गी इकाईयों के स्थापना हेतु योजना।
- 2 बकरी और भेड़ इकाईयों की स्थापना हेतु योजना।

डॉ० सुनील कुमार गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 3rd January, 2019

No. 9033(CFMS)-AH-4-2018/140.— In exercise of the powers conferred under Section 3 of The Haryana Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2017 (Haryana Act No. 6 of 2017): the following schemes being implemented by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Haryana for the benefit of the farmers under Section 4 of the Act, *ibid*, for which Aadhar number or enrolment number in the absence of Aadhar number, shall be used as authenticated proof for identification of an individual:-

- 1 Scheme for Establishment of Backyard Poultry Units.
- 2 Scheme for providing Employment opportunities by Establishing Sheep and Goat Units.

DR. SUNIL KUMAR GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry & Dairying Department.